



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि./स्थाना.पद./पार्ट/18/2770

जयपुर, दिनांक :- 21.6.18

आदेश

श्री राकेश कुमार सिंहल, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), पंचायत समिति, नीमराना (अलवर) को अधिशाषी अभियन्ता (मनरेगा), जिला परिषद, भरतपुर कि रिक्त पद का कार्य सम्पादित करने हेतु जिला परिषद, भरतपुर में लगाया गया था, को तत्काल प्रभाव से अधिशाषी अभियन्ता (मनरेगा) जिला परिषद, भरतपुर से हटाकर पंचायत समिति, राजाखेडा (धौलपुर) में सहायक अभियन्ता (मनरेगा) के रिक्त पद पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है ।

श्री सिंहल, सहायक अभियन्ता हॉल अधिशाषी अभियन्ता (मनरेगा) जिला परिषद, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल स्थानान्तरित/पदस्थापित पंचायत समिति में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना विकास अधिकारी के माध्यम से विभाग को भिजवायेंगे ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र शेखर मक्कड)

अतिरिक्त आयुक्त एवं

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक 3497 दिनांक 18.6.18 के संदर्भ में ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास अनुभाग-1, सचिवालय परिसर, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, भरतपुर/धौलपुर ।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर/धौलपुर ।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजाखेडा (धौलपुर) ।

8. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
9. श्री राकेश कुमार सिंहल, सहायक अभियन्ता (मनरेगा), हॉल अधिशाषी अभियन्ता (मनरेगा), जिला परिषद, भरतपुर को पालनार्थ ।
10. गार्ड फाईल ।



अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव